भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *37

उत्तर देने की तारीख : 08.12.2022

मध्य प्रदेश में एमएसएमई

***37. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कार्यरत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की जिले-वार संख्या कितनी है;

(ख) मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद मध्य प्रदेश के खरगौन बड़वानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित उद्यमों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत मध्य प्रदेश के खरगौन और बड़वानी जिलों में ऐसे उद्यमों को संवितरित ऋण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क) से (ग): वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*37 जिसका उत्तर दिनांक 08.12.2022 को दिया जाना है के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित वक्तव्य</u>

(क) उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, दिनांक 1 जुलाई, 2020 से 2 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में पंजीकृत वर्गीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल संख्या 5,72,076 थी। जिला-वार ब्यौरा अनुबंध I में संलग्न है।

(ख) मध्य प्रदेश के खरगौन और बड़वानी जिलों में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिनांक 01.04.2016 से 25.11.2022 तक संस्वीकृत ऋण और राशि की संख्या निम्नानुसार है:

जिला	संस्वीकृत ऋणों की संख्या	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)
खरगौन	**4.29**	**2278.95**
बड़वानी	**2.34**	**1166.56**

(ग) दिनांक 02.12.2022 के अनुसार, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत मध्य प्रदेश के खरगौन और बड़वानी जिलों में संस्थाओं को संवितरित राशि निम्नानुसार है:

जिला	दिनांक 02.12.2022 तक संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)
खरगौन	**4.77**
बड़वानी	**0.39**

***

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*37 जिसका उत्तर दिनांक 08.12.2022 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध.

दिनांक 01.07.2020 से 02.12.2022 तक मध्य प्रदेश में उद्यम के तहत पंजीकृत एमएसएमई की जिला-वार कुल संख्या

क्र.सं.	जिला	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
1	अगर मालवा	4601	123	3	**4727**
2	अलिराजपुर	1846	36	0	**1882**
3	अनुपपुर	3133	51	3	**3187**
4	अशोक नगर	3896	152	7	**4055**
5	बालाघाट	12358	210	9	**12577**
6	बड़वानी	7042	212	16	**7270**
7	बेतुल	10074	191	11	**10276**
8	भिंड	5846	101	4	**5951**
9	भोपाल	38869	1464	117	**40450**
10	बुरहानपुर	5707	179	9	**5895**
11	छतरपुर	7317	251	9	**7577**
12	छिंदवाड़ा	16873	385	30	**17288**
13	दमोह	5274	119	5	**5398**
14	दतिया	3488	92	1	**3581**
15	देवास	14274	345	24	**14643**
16	धार	15968	589	55	**16612**
17	दिंदौरी	2569	24	0	**2593**
18	पूर्वी निमाड़	6791	250	18	**7059**
19	गुना	9296	286	15	**9597**
20	ग्वालियर	28522	968	75	**29565**
21	हरदा	4163	129	6	**4298**
22	होशंगाबाद	7908	285	27	**8220**
23	इंदौर	67143	3924	401	**71468**
24	जबलपुर	25757	796	64	**26617**
25	झाबुआ	4082	98	8	**4188**
26	कटनी	8498	402	54	**8954**
27	खरगौन	12318	338	20	**12676**
28	मांडला	5246	103	1	**5350**
29	मंदसौर	15627	396	15	**16038**
30	मुरैना	8968	233	27	**9228**
31	नरसिंहपुर	7083	223	13	**7319**
32	नीमच	9293	280	23	**9596**
33	निवारी	754	25	0	**779**
34	पन्ना	4085	57	0	**4142**
35	रायसेन	8306	291	24	**8621**
36	राजगढ़	14100	301	5	**14406**
37	रतलाम	13800	486	37	**14323**
38	रीवा	14661	244	11	**14916**
39	सागर	13643	361	18	**14022**
40	सतना	13227	374	29	**13630**
41	सीहोर	12225	253	9	**12487**
42	सिओनी	8198	201	7	**8406**
43	शहडोल	5477	134	3	**5614**

44	शाहजहापुर	9076	219	3	**9298**
45	श्योपुर	1584	75	0	**1659**
46	शिवपुरी	6755	261	5	**7021**
47	सीधी	3861	65	2	**3928**
48	सिंगरौली	5723	139	4	**5866**
49	टीकमगढ़	3888	119	6	**4013**
50	उज्जैन	21917	624	28	**22569**
51	उमरिया	2013	37	1	**2051**
52	विदिशा	9868	313	9	**10190**
	कुल:-	**552991**	**17814**	**1271**	**572076**
रिपोर्ट दिनांक:- 02/12/2022 11:40 पूर्वाहन बजे					

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 779

सोमवार, 12 दिसंबर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक)

भारतीय अप्रवासी

779. डॉ. ए. चेल्लाकुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 संकट के दौरान भारतीय अप्रवासियों की सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ मिलकर काम किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भारतीय अप्रवासी श्रमिकों के कोई श्रम विवाद अनसुलझे रह गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2010 से अब तक तत्संबंधी राज्य-वार, देश-वार ब्यौरा क्या है और उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): महामारी के दौरान, यह सरकार की प्राथमिकता थी कि रोजगार के नुकसान के संदर्भ में भारतीय कामगारों पर महामारी के प्रभाव को न्यूनतम किया जाए। इसके लिए, खाड़ी में अपने मिशनों के माध्यम से सरकार लगातार खाड़ी राष्ट्रों की सरकार के साथ कार्य कर रही थी ताकि कामगारों को बनाए रखा जा सके, उनके कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके और उन्हें वित्तीय भुगतान की सुविधा मिल सके। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन (वीबीएम) के माध्यम से कोविड-19 महामारी के समय में विदेशों में फंसे नागरिकों की भारत में सुरक्षित वापसी को सुसाध्य बनाया।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा हस्ताक्षरित श्रम और जनशक्ति सहयोग समझौता ज्ञापन/करार, कई देशों में घरेलू कामगारों के विशिष्ट हितों की रक्षा करते हैं। इस तरह के दस्तावेजों पर खाड़ी सहयोग परिषद देशों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात) और जॉर्डन के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। सरकार ने कुवैत और सऊदी अरब के साथ भी घरेलू कामगारों के संबंध में अलग-अलग समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, जनशक्ति में सहयोग के लिए एक श्रम गतिशीलता साझेदारी करार पर सितंबर 2009 में डेनमार्क के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। प्रवास और गतिशीलता समझौता ज्ञापन/करार भी मौजूद हैं जिसे फ्रांस और यूके के साथ क्रमशः मार्च 2018 और मई 2021 में हस्ताक्षरित किया गया था। वे प्रवासन और गतिशीलता संबंधी मुद्दों पर सहयोग के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशन/पोस्ट भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग संकट के समय में प्रवासी भारतीय नागरिकों और उनके आश्रितों को सहायता प्रदान करने के लिए भी करते हैं, जिसमें मृत्यु के मामलों के निपटारे की प्रक्रिया और पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया भी शामिल है।

(ग) और (घ): जी, हां। भारतीय कामगारों के कुछ श्रम संबंधी विवाद अनसुलझे हैं। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) द्वारा ई-माइग्रेट और मदद पोर्टल पर पंजीकृत श्रम संबंधी शिकायतों का ब्यौरा केवल वर्ष 2015 से ही उपलब्ध हैं। वर्ष 2015 से नवंबर 2022 तक राज्यवार और देशवार ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है। इनमें से कई शिकायतें संबंधित देशों में चल रही कानूनी कार्यवाही के कारण लंबित हैं।

* ****

अनुबंध

दिनांक 12.12.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 779 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2015 से 2022 (नवंबर तक) ई-माइग्रेट तथा मदद पर पीबीएसके द्वारा पंजीकृत शिकायतें

1. पीबीएसके द्वारा पंजीकृत वर्ष-वार शिकायतें।

वर्ष	ई-माइग्रेट	मदद	कुल योग
2015	627	405	1032
2016	1170	450	1620
2017	917	411	1328
2018	1479	753	2232
2019	1459	1032	2491
2020	2259	753	3012
2021	1633	747	2380
2022	1358	800	2158
कुल योग	**10902**	**5351**	**16253**

2. राज्य-वार प्राप्त और पंजीकृत शिकायतें।

राज्य	ई-माइग्रेट	मदद	कुल योग
उत्तर प्रदेश	3182	956	4138
तमिलनाडु	1611	2297	3908
बिहार	865	295	1160
महाराष्ट्र	890	189	1079
केरल	762	172	934
पश्चिम बंगाल	601	142	743
तेलंगाना	389	268	657
राजस्थान	477	153	630
पंजाब	421	177	598
आंध्र प्रदेश	360	175	535
दिल्ली	285	87	372
कर्नाटक	160	70	230
हरियाणा	120	66	186
गुजरात	107	71	178
ओडिशा	125	44	169
उत्तराखंड	102	39	141
झारखंड	99	35	134
मध्य प्रदेश	55	38	93
जम्मू एवं कश्मीर	71	10	81
चंडीगढ़	66	6	72
असम	58	6	64
हिमाचल प्रदेश	44	20	64
छत्तीसगढ	1 1	9	20
पांडिचेरी	12	8	20
गोवा	10	7	17
त्रिपुरा	12	1	13
सिक्किम	2	4	6
अंडमान और निकोबार	2	2	4
मेघालय	1	2	3
अरूणाचल प्रदेश	1	1	2
मणिपुर	1	0	1
नगालैंड	0	1	1
कुल योग	**10902**	**5351**	**16253**

3. पीबीएसके द्वारा पंजीकृत देशवार शिकायतें

पंक्ति लेबल	ई-माइग्रेट	मदद	कुल योग
केएसए	5356	1661	7017
संयुक्त अरब अमीरात	1130	890	2020
कुवैत	1202	361	1563
मलेशिया	464	835	1299
कतर	765	199	964
ओमान	435	466	901
कनाडा	381	34	415
बहरीन	125	91	216
सिंगापुर	137	66	203
अमेरिका	43	50	93
ऑस्ट्रेलिया	65	18	83
भारत	78	0	78
रूस	61	17	78
इराक	29	38	67
यूके	39	22	61
माल्टा	57	2	59
नाइजीरिया	15	43	58
मालदीव	15	34	49
ईरान	5	33	38
थाईलैंड	14	23	37
जर्मनी	21	10	31
पोलैंड	26	4	30
जॉर्डन	15	13	28
लिथुआनिया	27	1	28
चीन	12	15	27
लीबिया	10	17	27
नीदरलैंड	23	3	26
स्लोवाकिया	25	0	25
दक्षिण अफ्रीका	10	14	24
नया न्यूज़ीलैंड	18	5	23
पुर्तगाल	19	4	23
रोमानिया	17	6	23
श्री लंका	7	16	23
अंगोला	4	18	22
कंबोडिया	9	12	21
इथियोपिया	1	20	21
इटली	9	1 1	20
तंजानिया	9	1 1	20
लेबनान	9	10	19
डेनमार्क	17	1	18
ब्रुनेई	10	6	16
इंडोनेशिया	3	13	16
केन्या	10	6	16
सूडान	3	13	16
इजराइल	15	0	15
सर्बिया	14	1	15
फिलीपींस	1	13	14
उज़्बेकिस्तान	9	5	14
कांगो	1	12	13
मिस्र	5	8	13
साइप्रस	6	6	12

मॉरीशस	9	3	12
मोजाम्बिक	2	10	12
म्यांमार	2	10	12
आज़रबाइजान	9	2	1 1
बेल्जियम	9	2	1 1
जापान	10	1	1 1
सेशल्स	3	7	10
यूगांडा	1	9	10
आयरलैंड	8	1	9
नेपाल	0	9	9
बांग्लादेश	0	8	8
क्रोएशिया	6	2	8
फ्रांस	6	2	8
वियतनाम	2	6	8
एलजीरिया	4	3	7
घाना	0	7	7
स्पेन	3	4	7
यूक्रेन	4	3	7
अफ़ग़ानिस्तान	2	4	6
कैमरून	1	5	6
जाम्बिया	1	5	6
आर्मीनिया	4	1	5
ब्राजील	3	2	5
जॉर्जिया	2	3	5
लाइबेरिया	1	4	5
सिएरा लियोन	0	5	5
यमन	0	5	5
कोटे डी आइवर	0	4	4
गुयाना	2	2	4
आइवरी कोस्ट	0	4	4
फ़िजी	2	1	3
ग्रीस	1	2	3
जमैका	2	1	3
कजाखस्तान	2	1	3
मेडागास्कर	2	1	3
मेक्सिको	0	3	3
नॉर्वे	3	0	3
सेनेगल	1	2	3
सोमालिया	0	3	3
दक्षिण कोरिया	0	3	3
दक्षिण सूडान	0	3	3
सूरीनाम	0	3	3
स्वीडन	0	3	3
टर्की	0	3	3
एबिजान	0	2	2
फिनलैंड	2	0	2
हंगरी	2	0	2
किर्गिज़स्तान	1	1	2
लाओस	0	2	2
लातिविया	0	2	2
पाकिस्तान	0	2	2

पापुआ न्यू गिनी	0	2	2
रवांडा	1	1	2
पश्चिम अफ्रीका	0	2	2
अल्बानिया	0	1	1
ऑस्ट्रिया	0	1	1
बेलीज़	0	1	1
भूटान	0	1	1
बोलीविया	1	0	1
बुरुन्दी	0	1	1
कैमन द्वीपों	1	0	1
सेंट्रल अफ्रीका	0	1	1
कंबोडिया	0	1	1
चेक रिपब्लिक	1	0	1
दुस्बेन	1	0	1
भूमध्यरेखीय गिन्नी	0	1	1
इरिट्रिया	0	1	1
ग्वाटेमाला	1	0	1
नैरोबी	0	1	1
नाइजर	0	1	1
कांगो रिपब्लिक	0	1	1
रीयूनियन द्वीप	1	0	1
सेंट क्रिस्टोफर और नेविस	0	1	1
दक्षिण अमेरिका	0	1	1
स्विट्ज़रलैंड	0	1	1
ताइवान	0	1	1
तजाकिस्तान	1	0	1
बहामा (जमैका)	0	1	1
उरुग्वे	1	0	1
वेनेजुएला	0	1	1
कुल योग	**10902**	**5351**	**16253**

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 785

सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022 / 21 अग्रहयण, 1944 (शक)

ई-कॉमर्स प्लेटफार्म

785. श्री फिरोज वरुण गांधी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में वर्ष 2022 में ट्विटर, मेटा, अमेजन और सिस्को जैसी वैश्विक कंपनियों द्वारा छंटनी किए गए कर्मचारियों की संख्या का लेखा-जोखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में देश में छंटनी के संबंध में ई-कॉमर्स प्लेटफार्म अमेजन को तलब किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या वे अमेजन द्वारा स्वैच्छिक पृथक्करण नीति को समाप्त किए जाने के बारे में आम सहमति पर पहुंचने में सफल रहे?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कामबंदी सहित रोजगार और छंटनी एक नियमित घटना है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कामबंदी और छंटनी से संबंधित मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी अधिनियम) के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं, जो कामबंदी के विभिन्न पहलुओं और कर्मकारों की छंटनी से पहले की शर्तों को भी विनियमित करता है। आईडी अधिनियम के अनुसार, 100 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने, छंटनी या कामबंदी करने से पहले समुचित सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसके अलावा, किसी भी छंटनी और कामबंदी को अवैध माना जाता है जो आईडी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किया जाता है। आईडी अधिनियम में मुआवजे हेतु काम से रोके गए और छंटनी किए गए कर्मकारों के अधिकार का भी प्रावधान किया गया है और इसमें छंटनी किए गए कर्मकारों के पुनर्नियोजन का भी प्रावधान है। आईडी अधिनियम में सीमांकित उनके संबंधित अधिकार-क्षेत्र के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर्मकारों की समस्याओं का समाधान करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए कार्रवाई करती हैं। केंद्र सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों में, केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) को अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने और कामगारों के हितों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है, जिसमें कामबंदी और छंटनी और उनकी रोक से संबंधित मामले शामिल हैं। आईटी, सोशल मीडिया, एडु टेक फर्मों और संबंधित क्षेत्रों में बहु-राष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों के संबंध में अधिकार-क्षेत्र

संबंधित राज्य सरकारों के पास है। इन क्षेत्रों के संदर्भ में कामबंदी और छंटनी पर केंद्रीय स्तर पर कोई डेटा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ): अमेज़न इंडिया ने सूचित किया है कि उनकी वार्षिक प्रचालन योजना समीक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में वे अपने प्रत्येक व्यवसाय को देखते हैं और वे परिवर्तन में विश्वास करते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए, वर्तमान मैक्रो-इकोनॉमिक माहौल के दृष्टिगत उनकी कुछ टीमें समायोजन कर रही हैं, जिसमें कुछ टीमों में कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण कार्यक्रम (वीएसपी) का विकल्प चुनने का अवसर देना शामिल है। वीएसपी एक पूरी तरह से स्वैच्छिक कार्यक्रम है जिसके तहत कर्मचारी उचित विच्छेद पैकेज प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं। उन्होंने सूचित किया है कि वे अपने कर्मचारियों को वीएसपी चुनने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। अमेज़ॅन इंडिया ने सूचित किया कि वीएसपी के लिए चयन करने का निर्णय 100% स्वैच्छिक है और वे कर्मचारियों को एक विस्तारित विंडो की पेशकश कर रहे हैं, यदि वे फिर से आने और/या अपने निर्णय को रद्द करने का विकल्प चुनते हैं। अमेज़न इंडिया ने आगे बताया कि यदि कोई कर्मचारी वीएसपी का विकल्प नहीं चुनता है तो इस निर्णय के कारण उसके रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 825

सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022 / 21 अग्रहायण, 1944 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना, 2014 की वैधता

836. श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में 2014 के संशोधनों में अंतिम तिथि को हटाते हुए कर्मचारी पेंशन योजना, 2014 की वैधता को बरकरार रखने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कोई नीति और उसे लागू करने हेतु योजना बनाई है;

(घ) क्या योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु और संदेह, यदि कोई हो, तो उसे दूर करने के लिए मजदूर संघ संगठनों के साथ कोई परामर्श किया जा रहा है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): माननीय उच्चतम न्यायालय ने, दिनांक 04.11.2022 के अपने निर्णय में यह माना है कि दिनांक 22 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 609 (अ) कानूनी और वैध हैं। निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की जांच की जा रही है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 833

सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022 / 21 अग्रहायण, 1944 (शक)

कामगारों के कल्याणार्थ योजना

833. श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गिग कामगारों के लिए कोई कल्याणकारी योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उद्योगों में एक लचीली कार्य संस्कृति के रूप में राइट टू मूनलाइट नीतिगत पहल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पिछले तीन वर्षों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए केंद्रीय वित्तपोषित सामाजिक कल्याण योजनाओं पर सदन को अद्यतन जानकारी देगी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तैयार की है, जिसमें जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को तैयार करने की परिकल्पना की गई है। हालांकि, संहिता के अंतर्गत ये प्रावधान लागू नहीं हुए हैं। सरकार ने गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के पंजीकरण और सृजन के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। यह किसी व्यक्ति को स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने की अनुमति देता है, जो लगभग 400 व्यवसायों में फैला हुआ है।

जारी.....2/-

(ख): सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और खनन क्षेत्र हेतु सेवा शर्तों और उससे संबंधित या उससे जुड़े अन्य मामलों की व्यवस्था कराने के लिए केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर, 2020 को सरकारी राजपत्र में हितधारकों की टिप्पणियों के लिए औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत तीन मसौदा मॉडल स्थायी आदेश प्रकाशित किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि "कोई कामगार किसी भी समय उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के हित के विरुद्ध काम नहीं करेगा, जिसमें वह नियोजित है और औद्योगिक प्रतिष्ठान में अपनी नौकरी के अतिरिक्त और किसी रोजगार में संलग्न नहीं होगा, जो उसके नियोक्ता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, परंतु, नियोक्ता उसे अतिरिक्त नौकरी, शर्तों के साथ या शर्तों के बिना करने की अनुमति दे सकता है और कामगार को नियोक्ता की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा"।

(ग): सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये सुनिश्चित मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना शुरू की है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। 18-40 वर्ष की आयु के कामगार, जिनकी मासिक आय 15,000/- रुपये या उससे कम है और जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/ कर्मचारी राज्य बीमा निगम/ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी की आयु के आधार पर प्रीमियम 55/- रुपये से लेकर 200/- तक होता है। योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय होता है तथा समान अंशदान भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1555

उत्तर देने की तारीख 15.12.2022

बदहाल एमएसएमई क्षेत्र का पुनरुद्धार

1555. कुमारी चन्द्राणी मुर्मु:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद ओडिशा में बिखर चुके एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय प्रावधान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है आौर इस संबंध में किए गए वित्तीय प्रावधान क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस महामारी के दौरान अपनी नौकरी खोने वालों को सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग) : सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के सहयोग के लिए कार्यक्रमों, योजनाओं और आत्मनिर्भर भारत अभियान घोषणाओं के तहत तथा केंद्रीय बजट घोषणाओं में कई वित्तीय उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ ओडिशा सहित देश में कोविड महामारी के दौरान और उसके पश्चात हुए नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करना शामिल है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं:

i. एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत 5 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल मुक्त ऑटोमेटिक ऋण।
ii. आत्मनिर्भर भारत कोष के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
iv. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
v. व्यवसाय करने की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु ''उद्यम पंजीकरण''।
vi. एमएसएमई से संबंधित शिकायतों के समाधान तथा एमएसएमई को सहयोग प्रदान करने सहित ई-गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं को कवर करने के लिए जून, 2020 में ''चैम्पियंस'' नामक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ।
vii. दिनांक 02.07.2021 से खुदरा तथा थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।
viii. एमएसएमई के स्तर में किसी प्रकार के उन्नयन की स्थिति में 3 वर्ष के लिए गैर-कर लाभ का विस्तार ।

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम हैं और राज्य/संघ राज्य-वार निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है। ओडिशा में कुछ स्कीमों का कार्य-निष्पादन निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**लाभार्थियों की संख्या**	**राशि**
1.	आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) संचयी, शुरुआत के समय से (30.11.2022 के अनुसार)	9.24 लाख	5,353.92 करोड़
2.	क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस), संचयी, शुरुआत के समय से (30.11.2022 के अनुसार)	2.60 लाख	13,249.91 करोड़
3.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), संचयी, शुरुआत के समय से (02.11.2022 के अनुसार)	33,926 इकाइयां	865.67 करोड़

(घ) : प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (पीएमएआरबीआरवाई), रोजगार प्रदाताओं को कोविड-19 महामारी के दौरान उन्हें नए रोजगार सृजन के साथ सामाजिक सुरक्षा के लाभों हेतु और इस दौरान रोजगार में हुई हानि की भरपाई के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के भाग के रूप में शुरु किया गया था। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से रोजगार प्रदाताओं के वित्तीय भार को कम करने तथा उन्हें और अधिक कर्मचारियों को भर्ती करने हेतु कार्यान्वित की जा रही है। दिनांक 29.11.2022 तक 1.51 लाख स्थापनाओं/इकाइयों के माध्यम से 60.12 लाभान्वितों को लाभ प्रदान किया गया है और देश भर में एबीआरवाई के तहत 7,857.82 करोड़ रुपए का लाभ क्रेडिट किया गया है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1890

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक)

औद्योगिक दुर्घटनाएं

1890. श्री अरविंद सावंत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2021 में देश में बढ़ती औद्योगिक दुर्घटनाओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कामगारों की मृत्यु और इन दुर्घटनाओं की जांच की निगरानी के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई कार्य-योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च)**:** सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 का अधिनियमन किया है जिसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में नियोजित कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, जोखिमकारी प्रक्रियाओं, कार्य के घंटों, दण्डों और कार्यप्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत उपबंध किए गए हैं। ये उपबंध उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में कार्यरत कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं।

कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का प्रवर्तन राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा उनके मुख्य कारखाना निरीक्षकों (सीआईएफ)/औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक (डीआईएसएच) के माध्यम से किया जाता है।

अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों के अधिभोगी और प्रबंधकों से अपेक्षित है कि वे कारखाना अधिनियम**, 1948** के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करें। इसके किसी भी उपबंधों के उल्लंघन के मामले में**,** राज्य सरकारों के सीआईएफ/डीआईएसएच को कारखानों के अधिभोगी और प्रबंधक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है।

कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली**)**, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सीआईएफ/डीआईएसएच के साथ पत्राचार के माध्यम से कारखाना अधिनियम**,** 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में घातक और गैर-घातक दुर्घटनाओं की जानकारी एकत्र करता है।

डीजीफासली द्वारा राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, कैलेण्डर वर्ष 2019 से 2021 तक घातक और गैर-घातक दुर्घटनाओं का ब्योरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 92 और 96-क के अंतर्गत वर्ष 2019 से 2021 तक किए गए अभियोजनों और अपराधसिद्धियों का ब्योरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

इसके अलावा, कारखाना अधिनियम**,** 1948 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाएं संहिता, 2020 में सम्मिलित कर लिया गया है। इस संहिता को दिनांक 29 सितम्बर, 2020 को अधिसूचित किया गया है। तथापि, यह सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से लागू होगी।

**

*****

अनुबंध-I

'औद्योगिक दुर्घटनाएं' के संबंध में दिनांक 19.12.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1890 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में घातक और गैर-घातक दुर्घटनाओं का वर्ष-वार ब्योरा

वर्ष	चोटें	
	घातक	गैर-घातक
2019	1127	3927
2020	1050	2832
2021*	919	2699

*अनंतिम

अनुबंध-II

'औद्योगिक दुर्घटनाएं' के संबंध में दिनांक 19.12.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1890 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और 96-क के अंतर्गत चलाए गए अभियोजनों और अपराधसिद्धियों का वर्ष-वार ब्योरा

वर्ष	आरंभ किए गए अभियोजन	की गई अपराधसिद्धियां
2019	13354	7147
2020	7490	2563
2021*	8434	4761

* अनंतिम

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1908

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक)

ईपीएफओ की प्रमुख सेवानिवृत्ति बचत योजना के लिए वेतन सीमा

1908. श्री राहुल रमेश शेवाले:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री गिरिश भालचन्द्र बापट:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रमुख सेवानिवृत्ति बचत योजना के लिए वेतन सीमा को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या ईपीएफओ के इस प्रस्तावित बढ़ी हुई संशोधित सीमा के कारण सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अंतर्गत और अधिक श्रमिकों को लाया जा सकेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ईपीएफओ की मूल संरचना को बदलने से पहले इसके प्रभाव का पूरी तरह से आकलन करती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के तहत कवरेज के लिए वेतन सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है। वर्तमान में, यह 15000 रुपये प्रति माह है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1961

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक)

उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में श्रम कानूनों का उल्लंघन

1961. श्री अरुण कुमार सागर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निजी उद्यमों और कंपनियों के मालिक श्रम कानूनों का उल्लंघन कर मजदूरों का मानसिक शोषण और उत्पीड़न कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में आज की तिथि तक क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): श्रम समवर्ती सूची के अंतर्गत होने के कारण श्रम कानूनों का प्रवर्तन राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में किया जाता है। जबकि केंद्रीय क्षेत्र में, केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से प्रवर्तन किया जाता है, वहीं राज्य क्षेत्र में इसका अनुपालन राज्य श्रम प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर निर्वाचन क्षेत्र में निजी उद्यमों और कंपनी मालिकों द्वारा श्रमिकों के शोषण और उत्पीड़न के संबंध में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1965

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक)

ईपीएफ के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि

1965. श्रीमती चिंता अनुराधा

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने ईपीएफ के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार ने वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ इस संबंध में कोई चर्चा की है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): जी, हाँ। सरकार ने पहली बार, वर्ष 2014 में, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत बजटीय सहायता देते हुए पेंशनभोगियों को 1,000 रु. प्रति माह का न्यूनतम पेंशन प्रदान किया, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए गए वेतन के 1.16 प्रतिशत की बजटीय सहायता के अतिरिक्त था।

*****